BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 1193 OF 2024

IN THE MATTER OF:

News Item titled "Illegal miners attempt to run over trainee IAS officer at U.P.- Uttarakhand border" appearing in the Hindustan Times dated 26.09.2024.

INDEX

S. No	PARTICULARS	PAGE NO
1.	Additional Reply Affidavit Of District Magistrate Moradabad, In Compliance Of Order dated 10.09.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	**Annexure No. RA 1: -** A copy of the order dated 14.10.2024 passed by the Learned Sessions Judge, Moradabad	
3.	**Annexure No. RA 2: -** A copy of the letter dated 28.04.2025	
4.	**Annexure No. RA 3: -** A copy of the letter dated 07.10.2025	

THROUGH

Dated- 03.12.2025

AnkitVerma

(ANKIT VERMA)
STANDING COUNSEL STATE OF UP
A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013
MOB:- 09990804440
Email-ankit.scngtup@gmail.com

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP75995745807746X

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP75995745807746X
Certificate Issued Date	:	03-Dec-2025 09:59 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14719404/ MURADABAD SADAR/ UP-MRD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14719404486203341848897X
Purchased by	:	ANUJ SINGH SO SURENDRA SINGH
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	ANUJ SINGH SO SURENDRA SINGH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	ANUJ SINGH SO SURENDRA SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

UMESH KUMAR Acc Code-UP14719404 Moradabad

NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line

NOTARY PUBLIC

Statutory Alert:

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 1193 OF 2024

IN THE MATTER OF:

News Item titled "Illegal miners attempt to run over trainee IAS officer at U.P.-Uttarakhand border" appearing in the Hindustan Times dated 26.09.2024.

ADDITIONAL REPLY AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE MORADABAD, IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 10.09.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent No. 5 Herein states as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Anuj Singh aged about 36 years, presently posted as District Magistrate – Moradabad, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am the above-mentioned officer of answering Respondent No. 5 and is duly competent to file the present additional affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present additional affidavit.

3. That the deponent is posted as District Magistrate Moradabad, since 25.06.2024 and is swearing this affidavit in his official capacity.

4. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

5. That the deponent herein in compliance of the order dated 27.09.2024 passed by this Hon'ble Tribunal had filed an affidavit dated 21.01.2025, wherein the following facts were submitted before this Hon'ble Tribunal: -

   a. That it was reported that 300 cubic meters (20×15×1) of earth was being illicitly mined by the operators of the following vehicles:

   i. Tractor No. **UP21 AV 7772**, Chassis No. **NKBS00340**, Engine No. **NKBB00340**, registered in the name of *Anish Ahmad*, S/o *Raisuddin*, R/o Mohalla Pur Aanga, Bhojpur Dharampur, Tehsil & District Moradabad; and

ii. Tractor No. **UP21 PB 8850**, Chassis No. **MBNWHBOX5PNH01359**, Engine No. **NPH4WX246**, registered in the name of *Naeemuddin*, S/o *Anish*, R/o Mohalla Dharampur Aanga, Bhojpur Dharampur, Tehsil & District Moradabad.

b. That upon detection, the Regional Lekhpal lodged a First Information Report on 23.09.2024 at Police Station Bhojpur, District Moradabad.

c. That in pursuance of the said First Information Report registered as Case Crime No. 406/2024, the Station House Officer, Police Station Bhojpur, registered offences under Sections 191(2), 131, 132, 324(5) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and Section 21(4) of the Mining Act on 23.09.2024, and entrusted the investigation to Sub-Inspector Praveen Kumar.

d. That upon completion of the investigational proceedings, the Investigating Officer submitted a charge-sheet (Charge-sheet No. 453/24, dated 16.12.2024) before the appropriate Court against the accused persons, namely, Naeemuddin S/o Anish, & Moinuddin S/o Anish, both residents of Village Dharampur Aanga, Police Station

Bhojpur, District Moradabad, under Sections 109(1)/132/324(5) BNS and Section 21(4) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, thereby completing the investigative process.

6. That the present Original Application was again listed on 10.09.2025, whereby this Hon'ble Tribunal was pleased to issue the following directions:-

"1. Learned Counsel appearing for State of UP has sought further two weeks' time to place on record the complete details of the persons found to be involved in illegal mining and action which has been taken against them and also quantity of the illegally mined mineral and action which has been taken.

2. List on 04.12.2025. "

7. That the present additional reply affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 10.09.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.

8. That the Sub-Divisional Magistrate (Sadar), District Moradabad, vide his communication dated 07.12.2024 addressed to the Additional District Magistrate

(Finance/Revenue), Moradabad, apprised that on 22.09.2024, illegal excavation was detected over Gata No. 85-Ka, admeasuring 3.582 hectares, situated at Village *Bhojpur Dharampur*, Tehsil Sadar, District Moradabad, which is classified as riverine land.

9. That subsequent to filing of the charge sheet, in Case Crime No. 0406/2024, registered under Sections 191(2), 109(1), 132, 324(5) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and Section 21(4) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, Police Station Bhojpur, District Moradabad, the Learned Sessions Judge, Moradabad, vide its order dated 14.10.2024, was pleased to grant conditional bail to the accused persons, **Naeemuddin** and **Moinuddin**, upon each furnishing a **personal bond of Rs. 1,00,000/-** along with **two reliable sureties** of the like amount. The said criminal proceedings are presently pending adjudication before the Learned Sessions Judge, District Moradabad. A copy of the order dated 14.10.2024 passed by the Learned Sessions Judge, Moradabad, is being annexed as **Annexure No. RA 1** to this affidavit.

10. That as per the Tehsil report received in respect of illegal mining, it was established that approximately 300 cubic meters of ordinary soil had been excavated without obtaining

permission from any competent authority. Consequently, the office of the deponent, issued a notice vide Letter No. 475/Mining/2025, dated 11.02.2025, directing the concerned individuals to submit their explanation/defense along with supporting evidence. As no reply was received, a subsequent notice was issued vide Letter No. 613/Mining/2025, dated 11.04.2025, again requiring submission of their explanation/evidence.

11. That upon failure to furnish any response, the District Magistrate, vide order dated 26.04.2025, imposed a penalty of Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakhs Only) upon Anish Ahmad S/o Raisuddin and Naeemuddin S/o Anish, residents of Mohalla Dharampur Aanga, Bhojpur Dharampur, Tehsil & District Moradabad as per mandate Rule 58 of the UP Mineral Concession Rules 2021, which empowers the District Magistrate to impose penalty of minimum Two Lakhs and upto Five Lakhs for illegal mining/transportation. Pursuant thereto, the office of the District Magistrate, vide Letter No. 647/Mining/2024-25, dated 28.04.2025, directed the concerned persons to deposit the penal amount, which has not been deposited till now and recovery procedding for recovering the aforesaid amount has commenced. A copy of the letter dated 28.04.2025 is being annexed as **Annexure No. RA 2** to this affidavit.

12. That, in addition to the above, during the current financial year 2025–26, up to the month of October 2025, a total of 1,134 vehicles engaged in overloading and illegal mining/transportation originating from the State of Uttarakhand have been proceeded against, and a cumulative

revenue of Rs. 3,32,79,563/- has been realized by the mining department.

13. That in order to prevent overloading and illegal mining/transportation emanating from Udham Singh Nagar District, in Uttarakhand, which adjoins District Moradabad, the office of the deponent, vide Letter No. 1197/Mining-Enforcement/2025, dated 07.10.2025, has established coordination mechanisms and is making every possible effort to curb such illegal mining and transportation activities, within the jurisdictional limits of District- Moradabad. A copy of the letter dated 07.10.2025 is being annexed as **Annexure No. RA 3** to this affidavit.

14. That the Deponent respectfully submits and undertakes before this Hon'ble Tribunal that all necessary measures shall be diligently adopted to ensure that no such untoward incidents occur in future. The Deponent further affirms that strict and scrupulous compliance with the provisions of the Act, together with the Rules framed thereunder, shall be ensured so as to effectively prevent the recurrence of any unlawful activities henceforth.

15. That it is most respectfully prayed before this Hon'ble Tribunal that the instant additional reply affidavit may be

taken on record for proper adjudication of the present original application, in the interest of justice.

DEPONENT

Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. On this day of, 2025.

NOTARY PUBLIC

DEPONENT

Solemnly affirmed before me by Sri/Smt/Km Mr. Anuj Singh
deponent who is identified sri/smt./Km............
Clerk of sri/smt./Km... ....Advocate on.....
I have satisfied my self after examining the deponent that he / she under stood the contents of the affidavit and the same has been read over and explained by me Recd. Rs...... as fees
Sl. No ......
03-12-2025

SHAILENDRA SINGH
Regd. No. 62 (45) 2014
NOTARY PUBLIC
Moradabad

जमानत आदेश दिनांक— 14-10-2024

UPMO010081412024

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-3568/2024

1. नईमुद्दीन पुत्र अनीस अहमद,
2. मुईनुद्दीन पुत्र अनीस अहमद,

समस्त निवासीगण ग्राम सिहाली खद्दर, थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद।

..................आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), मुरादाबाद।

.....................अभियोजन पक्ष।

मु0 अपराध संख्या-406/2024
धारा-191 (2), 109(1), 132, 324(5), बी0 एन0एस0 व 21 (4) खान एवं खनिज अधि0
थाना-भोजपुर, जिला मुरादाबाद।

14-10-2024

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण नईमुद्दीन व मुईनुद्दीन, जो मुकदमा अपराध संख्या-406/2024, अन्तर्गत धारा-191 (2), 109(1), 132, 324(5), बी0 एन0 एस0 व 21 (4) खान एवं खनिज अधि0, थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में अभिरक्षा में है, की ओर से उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा सर्वेश कुमार, लेखपाल, क्षेत्र भोजपुर, द्वारा थाना भोजपुर, मुरादाबाद पर प्राथमिकी इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि, दिनांक 22.09.2024 की रात्रि लगभग 10.00 बजे मोबाइल पर सूचना प्राप्त हुयी कि ढेला नदी के पास कुछ लोग नदी से अवैध बालू खनन कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी व तहसीलदार व राजस्व टीम व पुलिस बल की उपस्थिति में टीम खनन करने वाले स्थान की तरफ बढ रही थी कि मौके पर 02 ट्रेक्टर-ट्राली खनन कर रहे थे, टीम ने मौके पर खनन रोकने का प्रयास किया, तभी अर्जुन ट्रेक्टर हैरो चला रहे तीन।

व्यक्तियों के द्वारा टीम पर गन्ना तोडते हुए चढाने का प्रयास किया, तभी पेडों व गन्ने की फसल नष्ट करते हुए अर्जुन ट्रेक्टर हैड्रा फंस गया। दूसरी टीम द्वारा दूसरे ट्रेक्टर को रोकने का प्रयास किया, वह भी टीम पर ट्रेक्टर चढाने का प्रयास करते हुए भाग गये, लेकिन गन्ने की फसल एवं पेडों में ट्रेक्टर ट्राली फंस गया। इसके बाद 07–08 अज्ञात व्यक्ति अर्जुन ट्रेक्टर हैड्रा व 02 ट्रेक्टर ट्राली छोड़कर भाग गये, जिसके पश्चात राजस्व टीम/पुलिस ने ट्रेक्टर व हैड्रा दोनों को नियंत्रण में लेकर थाना भोजपुर के सुपुर्द कर दिया।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि, प्रार्थीगण निर्दोष हैं, उन्हें रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उन्होंने जान से मारने की नियत से कोई ट्रेक्टर किसी के ऊपर नहीं चढाया है। उक्त वाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खनन रोकने वाली टीम पर ट्रेक्टर चढाने के प्रयास का आरोप लगाया गया है। खनन टीम के किसी भी सदस्य को कोई चोट आना नहीं बताया गया है। दौरान विवेचना मनमाने तरीके से धारा 109 (1) बी0एन0एस0 की बृद्धि की गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस प्रकार आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण पर आरोप है कि, उन्होंने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर खनन रोकने गयी राजस्व टीम/पुलिस बल को जान से मारने की नियत से उनके ऊपर ट्रेक्टर चढाने का प्रयास किया। आवेदकगण/अभियुक्तगण पर अवैध खनन किये जाने का भी आरोप है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा द्वारा अज्ञात ट्रेक्टर चालक 07–08 व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत करायी गयी है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादी मुकदमा के मजीद बयान के आधार पर प्रकरण में धारा–109 (1) बी0एन0एस0 की बृद्धि की गयी है, जबकि पत्रावली पर किसी भी टीम के किसी सदस्य के कोई चोट आना अथवा चोटों की कोई चिकित्सीय परीक्षण आख्या केस डायरी पर उपलब्ध

नहीं है। स्वयं वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपने बयान में खनन रोकने गयी टीम पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ट्रैक्टर चढाने का प्रयास किये जाने का कथन किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण दिनांक 04.10.2024 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। अभियोजन की ओर से आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना यह न्यायालय आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार पाता है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण नईमुद्दीन व मुईनुद्दीन का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा 1,00,000/– रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इसी धनराशि के दो विश्वसनीय जमानती, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे

1– आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेंगे।

2– आवेदकगण/अभियुक्तगण के आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण–पत्र की सत्यप्रति दाखिल की जावेगी।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगे तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व दं0प्र0संहिता की धारा–313 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगे तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगे और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्व धारा–229ए भा0दं0संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

4– आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

5— आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत प्रपत्र स्वीकृत किए जाने से पूर्व उसके नाम, वल्दियत एवं पते के सम्बन्ध में सम्बन्धित न्यायालय तस्दीक कराया जाना सुनिश्चित करेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय, आवेदकगण/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा।

14.10.2024

दिनांकः 14—10—2024

(मनीष कुमार—I)
कृते सत्र न्यायाधीश/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0—07,
मुरादाबाद।
आई डी0नम्बर—UP06408

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुरादाबाद
15/10/24

कार्यालय जिलाधिकारी, मुरादाबाद।

(खनन अनुभाग)

दिनांकः—28/04/2025

पत्रांकः—647/खनिज /2024—25

आदेश

1. श्री अनीस अहमद पुत्र श्री रईसुद्दीन
   निवासी मो0 धर्मपुर आगा कस्वा भोजपुर धर्मपुर मुरादाबाद।
2. श्री नईमुद्दीन पुत्र श्री अनीस अहमद रईसुद्दीन
   निवासी मो0 धर्मपुर आगा कस्वा भोजपुर धर्मपुर मुरादाबाद।

आपको निर्गत नोटिस पत्र संख्या—475/खनिज/2025 दिनांक 11.02.2025 व कार्यालय पत्र सं0—613/खनिज/2025 दिनांक 11.04.2025 द्वारा सूचित किया गया था कि आप द्वारा ग्राम भोजपुर धर्मपुर तहसील सदर, जिला मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या—85क क्षेत्रफल 3.582 हे0 जो राजस्व अभिलेखों में आपके नाम दर्ज है। गाटा सं0—85क रकबा 3.582 हे0 में से भूमि में से कुल 300 घनमीटर सा0 मिट्टी अवैध खनन करने के फलस्वरूप किये गये अवैध खनन के संबंध के में आपके द्वारा अपना कोई भी प्रतिउत्तर कार्यालय को उपलब्ध नही कराये जाने के कारण यह मानते हुए की उपरोक्त गाटाओं में किया गया खनन आपके द्वारा ही अवैध रूप से किया गया है। तत्क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 26.04.2025 द्वारा किये गये अवैध खनन के विरूद्व उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 58 के अनुसार अन्यून अर्थदण्ड की धनराशि रू0 200000.00 आरोपित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आरोपित धनराशि रू0 200000.00 पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर लेखाशीषर्क "0853" में जमा करा कर ट्रेजरी चालान की प्रति इस कार्यालय मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 59 के अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि भूराजस्व की भाँति वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।

अपरजिलाधिकारी(वि0/रा0)
प्रभारीअधिकारी(खनिज)
मुरादाबाद।

संख्या व दिनांकउपरोक्त।

प्रतिलिपिः— 1. जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद, को अवलोकनार्थ प्रेषित।

2. तहसीलदार सदर को नोटिस की दो प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति सम्बन्धित को तामील कराकर दूसरी प्रति तामीला आख्या सहित इस कार्यालय को वापस करे।

अपरजिलाधिकारी(वि0/रा0)
प्रभारीअधिकारी(खनिज)
मुरादाबाद।

ANNEXURE NO. RA 3

प्रेषक,

जिलाधिकारी

मुरादाबाद, उ0प्र0।

सेवा में,

जिलाधिकारी

उधमसिंहनगर, **उत्तराखण्ड।**

पत्रांकः– 1197 /खनिज–प्रवर्तन/2025–26 दिनांकः– 07 अक्टूबर, 2025

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य से जनपद–मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में उपखनिज लदे वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद मुरादाबाद में माह– सितम्बर,2025 में कुल 37 वाहन अभिवहन प्रपत्र में अंकित मात्रा से अधिक उपखनिज का परिवहन अर्थात् ओवरलोड वाहनों को विभिन्न थानों में निरूद्ध किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य से उपखनिज लदे वाहन मुरादाबाद की सीमा में प्रवेश करते हैं, जिसमें से कतिपय वाहन द्वारा उपखनिजों की ओवरलोडिंग की जा रही है।

इस सम्बन्ध में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पत्र संख्याः–I/1041133/2025(1878325) दिनांक– 03.07.2025 व पत्र संख्याः–I/1096554/2025(1878325) दिनांक–22.09.2025 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी अपने विभिन्न बैठकों में भी खनन कार्य में लगे वाहनों में किसी भी दशा में ओवरलोडिंग न हो यह नियम विरूद्ध है और दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है। इस हेतु सोर्स/इन्ट्री प्वांइट पर ही ओवरलोडिंग रोके जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसकी प्रति समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को प्रेषित की गयी है।

शासन की मंशा अनुसार ओवरलोडिंग एवं अवैध परिवहन को रोकने हेतु जनपद–मुरादाबाद में अन्तर्राज्यीय सीमा पर चैकपोस्ट बनाकर एवं प्रवर्तन दल द्वारा समय–समय पर औचक निरीक्षण कर वाहनों की जॉच की जा रही है। जॉच के दौरान उपखनिज लदे वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग किए जाने के प्रकरण उत्तराखण्ड से आने वाले उपखनिज लदे वाहनों पर ही पाये गये हैं। इस सम्बन्ध में लोडिंग स्थल पर ही ओवरलोड वाहनों पर पूर्णतः रोक लगाए जाने की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित स्टोन क्रेशरों द्वारा की जा रही ओवरलोडिंग के विरूद्ध प्रभावी अंकुश लगाने का कष्ट करें, जिससे ओवरलोडिंग/अवैध परिवहन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा सके।

संलग्नक–यथोक्त।

(अनुज सिंह)
जिलाधिकारी, मुरादाबाद।

पत्रांक व दिनांक–उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपिः–1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित की उत्तराखण्ड राज्य से अपने स्तर से समन्वय करने का कष्ट करें।

3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुज सिंह)
जिलाधिकारी, मुरादाबाद।